क्र0 सं0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी
01	02	0

न्यायालय, अभिराम त्रिवेदी वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा

उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-93/2021 राज्य बनाम सुधांशु कुमार एवं अन्य

-:आदेश:-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-927/म.नि., दिनांक-21.07.2021 के द्वारा ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0) थाना कांड सं0-116/2021, दिनांक-18.07.2021, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 में जब्त डिसकवर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR-43M-3846 जिसका चेचिस नं0-MD2A15AY7JRK56842, इंजन नं0-JBYRJK06905 एवं पुराना हिरो जेट साईकिल है को राज्यसात करने का प्रस्ताव समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-93/2021 राज्य बनाम सुधांशु कुमार एवं अन्य दर्ज किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा रखे गए पक्ष को सुनवाई के उपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-58 की उप धारा-2 (15) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमानुसार वाद निष्पादन हेतु अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया है, जिस पर दिनांक-21.08.2021 से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्राप्त प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया है कि विषयोक्त थाना कांड में जब्त मोटर साईकिल एवं पुराना हिरो जेट साईकिल से 50 लीटर देशी महुआ शराब बरामद करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। जब्त डिसकवर मोटर साईकिल एवं पुराना हिरो जेट साईकिल को राज्यसात करने की अनुशंसा की है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारण कर इस न्यायालय के डी0बी0 नं0-32/न्या0, दिनांक-06.09.2021 के द्वारा प्रतिवादी 01. श्री सुधांशु कुमार, पिता भजेन्द्र यादव, सा0-खाड़ी, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा, 02. श्री गंगा मंडल, पिता-मुन्नीलाल मंडल, सा0-पहाड़पुर, थाना-सौरबाजार (पतरघट ओ0पी0) जिला-सहरसा के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस को अलग-अलग पते पर निबंधित डाक के माध्यम से तामिला हेतु भेजा गया, जिसका निबंधन सं0-RF621330088IN एवं RF621329972IN है। डाक विभाग के वेव साईट पर जाँच करने पर पाया गया कि प्रतिवदियों को दिनांक-11.09.2021 को नोटिस प्राप्त होना प्रतिवेदित किया गया है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त सुनवाई हेतु दिनांक-26.08.2021, 16.09.2021, 23.09.2021 को तिथि निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि को केवल सरकारी पक्षकार उपस्थित हुए। प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। दिनांक-30.09.2021 को विज्ञ उत्पाद अधिवक्ता ने प्रतिवादियों की अनुपस्थिति के कारण वाद के निष्पादन में हो रहे विलंब के कारण एकपक्षीय सुनवाई कर वाद को निस्तारण किए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तदोपरान्त विधिवत नोटिस तामिला मानते हुए दिनांक-07.10.2021 को एकपक्षीय सुनवाई की गई। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का पक्ष विस्तार से सुना गया। रखे गये पक्ष इस प्रकार है:-

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का कथन है कि जब्त मोटर साईकिल एवं साईकिल के लिए दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार सभी प्रक्रियाएँ अपना ली गई है। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत के बाद भी कोई दावेदार अपना दावा पेश नहीं किए है। प्रतिवादी/गाड़ी मालिक को विधिवत नोटिस तामिला कराया जा चुका है। नोटिस मामिला प्राप्ति उपरान्त सुनवाई हेतु निर्धारित की गई किसी भी तिथियों में उपस्थित नहीं हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी/गाड़ी मालिक अपने बचाव में पक्ष रखना नहीं चाहते है। एकपक्षीय सुनवाई कर वाद निष्पादन किया जा सकता है। डाक विभाग के द्वारा प्रतिवादियों का नोटिस तामिला दर्शाया गया प्रतिवेदन के उपरान्त यह माना जायेगा कि प्रतिवादी/गाड़ी मालिका को नियमतः नोटिस मामिला माना जा सकाता है। प्रतिवादी/गाड़ी मालिक उपस्थित नहीं होना यह दर्शाता है कि अपने ऊपर लगे आरोप के वे मूक रूप से स्वीकार कर रहे है, जिस कारण अपना पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर रखना नहीं चाहते है। दूसरी तरफ प्रतिवादी/गाड़ी मालिक की अनुपस्थिति इस ओर ईशारा करता है कि वे आरोप को निराधार साबित करने के लिए समक्ष नहीं है। थाना में दर्ज प्राथमिकी से जाहिर होता है कि अरार ओ0पी0 के थानाध्यक्ष सशस्त्र बल के साथ दिवा गश्ती के दौरान अरार बिशनपुर स्थित बेलदौड़ नहर पर वाहन चेकिंग कर रहा था। इसी क्रम में एक मोटर साईकिल पर सवार एक व्यक्ति जो पुलिस को देख भयभीत एवं घबड़ाकर पीछे की ओर घूमकर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में वे गिर गया। शिंका के अधार पर उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया तथा मोटर साईकिल के सीट पर बोरा में बाँधा समान के संबंध में पुछा गया तो बताया कि बोरा में महुआ शराब है। इस कार्रवाई को देख आस-पास के लोग जमा हो गई। जामा भीड़ में से ही दो को स्वतंत्र गवाह बनाकर मोटर साईकिल के सीट पर बंधा बोरा को चेक किया गया तो पाया गया कि प्लास्टिक के उजला पॉलियीन में 100 (एक सौ) पीस प्रत्येक पीस में 500 एम.एल. महुआ देशी शराब पाया गया। जिसका कुल वनज 50 लीटर होगा। इसी क्रम में एक साईकिल पर सवार व्यक्ति आया। जिसके साईकिल के हेण्डल पर एक झोला में पाँच लीटर का प्लास्टिक का गैलन था। पूछने पर उन्होंने चकमा देकर भागने का प्रयास किया। उक्त व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़े गये साईकिल के हेण्डल पर लटका झोला के गैलन का ढ़क्कन खोने एवं सुंघने पर देशी महुआ शराब भरा हुआ पाया गया। घटना स्थल पर जमा भीड़ में से दो को स्वतंत्र साक्षी बनाकर जब्त मोटर साईकिल, पुराना हिरो जेट साईकिल एवं देशी महुआ शराब की विधिवत जब्ती सूची तैयार कर उस पर पकड़े के अभियुक्त एवं स्वतंत्र साक्षी से हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है। चूँकि घटना स्थल पर गिरफ्तार अभियुक्त एवं जब्त गाड़ी मालिक के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गये अभियुक्त के द्वारा दर्ज

कराय गये ब्यान के आधार पर प्रतिवादी/गाड़ी मालिक को नोटिस किया गया, परन्तु किसी भी तिथियों में पक्ष रखने हेतु वे उपस्थित नहीं हुए है। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त उन्हें काफी समय दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा पेश नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है गाड़ी मालिक एवं साईकिल मालिक अपना मोटर साईकिल एवं साईकिल विमुक्त करने के इच्छुक नहीं है या आरोप को निराधार साबित करने कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। यदि उन्हें कोई आपत्ति रहती, तो निश्चित तौर पर अपना आपत्ति न्यायालय में दर्ज कराते एवं वाहन विमुक्ति का अनुरोध करते। चूँकि मोटर साईकिल एवं साईकिल से देशी महुआ शराब ढ़ोए जाने के क्रम में पकड़ा गया है, जिस कारण उक्त मोटर साईकिल एवं साईकिल शराब ढ़ोने के उपयोग में लाये जाने के कारण धारा 56(ध) के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य है एवं उसे अधिग्रहित किया जा सकता है।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद की दलील सुनने उपरान्त अभिलेख में रक्षित कागजातों का गहन विचारण किया गया। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 (ध) एवं संशोधित अधिनियम-2018 की धारा 13(ख) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो निम्नांकित वस्तुएँ अधिहरण की भागी होगी यथाः-किसी मादक द्रव्य या शराब ढ़ोने के लिए उपयोग में लाया गया कोई जानवर, जलयान, वाहन या अन्य सवारी।" पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा दिए गये तर्क तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत जब्त मोटर साईकिल एवं साईकिल का उपयोग अबैध देशी महुआ शराब के ढ़ोने के लिए किया जा रहा था, जिसे धटना स्थल पर स्थानीय पुलिस बल के द्वारा जब्त किया गया है।

अतः बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56(ध) एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत पाये जाने के कारण जब्त डिसकवर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR-43M-3846 जिसका चेचिस नं0-MD2A15AY7JRK56842, इंजन नं0-JBYRJK06905 एवं पुराना हिरो जेट साईकिल है को अधिग्रहित करते हुए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-58 (2) के तहत राज्यसात (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, मद्यनिषेध मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मोटर यान निरीक्षक, मधेपुरा से जब्त डिसकवर मोटर साईकिल एवं पुराना हिरो जेट साईकिल का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी करायेंगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बाली लगाने वालों को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जायेगा। वाहन मालिक निलामी की प्रक्रिया में भाग लेकर उच्चतम बोली अदा कर प्रथमतः वाहन प्राप्त कर सकते है। अन्यथा उक्त वाहन उच्चतम बोली लगाने वालें को, उनसे राशि भुगतान पश्चात् उन्हें दे दी जाऐगी। निलामी की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरान्त वाहन विमुक्ति की सुचना संबंधितों को अपने स्तर से देगें। वाहन निलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवा दी जाऐगी।

उक्त आदेश से विक्षुब्ध पक्ष चाहें तो अपीलीय प्रधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार पटना के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

इस निदेश के साथ वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अधीक्षक, मद्यनिषध, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0) एवं वाहन मालिक/प्रतिवादियों को भी दें तथा एक प्रति जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

सो/-
(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता,मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

सो/-
(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0बी0 नं0-.....34.....न्या0, दिनांक....18.10.2024.....

प्रतिलिपिः प्रतिवादी 01. श्री सुधांशु कुमार, पिता भजेन्द्र यादव, सा0-खाड़ी, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा, 02. श्री गंगा मंडल, पिता-मुन्नीलाल मंडल, सा0-पहाड़पुर, थाना-सौरबाजार (पतरधट ओ0पी0) जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः थानाध्यक्ष, ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, मद्यनिषेध, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।